मानक कार्यविधि

कार्यविधि संख्या: KMT-US-OGC-0004

संशोधन: 02 **पृष्ठ:** 1 का 10

विषय/शीर्षक: **KENNAMETAL INC. वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी और रिश्वत-विरोधी कार्यविधि**

नोटिस: इसमें मौजूद जानकारी Kennametal Inc. और/या Kennametal Inc. द्वारा नियंत्रित कंपनी की संपत्ति है, और इसमें स्वामित्व संबंधी या व्यापारिक गोपनीयता संबंधी तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी हो सकती है। यह दस्तावेज आप पर भरोसा करके किसी विशेष उद्देश्य के लिए Kennametal में आंतरिक प्रयोग के लिए दिया गया है और इसको केवल उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के लिए इस कार्यविधि का संपूर्ण या आंशिक पुनरुत्पादन, वितरण और उपयोग और इसकी किसी भी सामग्री का संप्रेषण निषिद्ध है। सर्वाधिकार सुरक्षित।

इस पृष्ठ पर इस कार्यविधि या कार्य-निर्देश के सभी संशोधन दर्ज हैं।

सुविधा के लिए, टिप्पणियों के नीचे संक्षेप में इस संशोधन की प्रकृति का जिक्र किया गया है। कृपया सभी संबंधित बदलावों, परिवर्धित या मिटायी गयी सामग्री को अच्छी तरह से समझना सुनिश्चित करने के लिए संलग्न कार्यविधि को पढ़ लें। अन्यथा कहा नहीं गया हो, तो यह संशोधन प्राप्त होने पर लागू होना चाहिए।

संशोधन	द्वारा	पृष्ठ	टिप्पणियां
00	DWG	1-10	जारी किया गया मूल संस्करण।
01	PJW	1-11	संशोधन

संशोधन	इन्होंने जारी किया	इन्होंने अनुमोदित किया	अनुमोदन की तिथि
00	**रॉक्सैन टर्नर (Roxanne Turner)**	**डेविड डब्ल्यू. ग्रीनफील्ड (David W. Greenfield)**	**08/01/2007**
01	**पॉल जे. वार्ड (Paul J. Ward)**	**केविन जी. नोवे (Kevin G. Nowe)**	**11/01/2013**

वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी और रिश्वत-विरोधी कार्यविधि

I. दायरा

यह वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी और रिश्वत-विरोधी कार्यविधि ("कार्यविधि") Kennametal Inc., इसके द्वारा नियंत्रित और इससे जुड़ी कंपनियों ("कंपनी" या "Kennametal") के सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इसके एजेंटों, विक्रय प्रतिनिधियों, परामर्शदाताओं, वितरकों, संविदाकारों और वैश्विक स्तर पर Kennametal का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सभी तृतीय पक्षों ("तृतीय पक्षों") के लिए बिना किसी अपवाद के दिशानिर्देश और अपेक्षाएं निर्धारित करती हैं।

II. परिचय

A. <u>अनुपालन के प्रति वचनबद्धता और कर्मचारियों का दायित्व</u>।

कंपनी जिन देशों में प्रचालन करती है, उन सभी देशों के सभी कानूनों, नियमों और विनियमों का अपने आचरण में पालन करती है। यह सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों तथा तृतीय पक्षों का व्यक्तिगत दायित्व है कि वे उन पर लागू होने वाले इन कानूनी मानकों, सीमाओं और दायित्वों से अवगत हों और उनके अनुसार आचरण करें। न तो Kennametal, इसके अधिकारी, निदेशक और कर्मचारी और न ही इसके तृतीय पक्ष व्यवसाय हासिल करने या उसे बनाए रखने, या अनुचित व्यावसायिक लाभ उठाने के लिए रिश्वत, अनुचित भुगतान, या किसी भी प्रकार के लालच देने का उपयोग नहीं करेंगे।

प्रत्येक Kennametal निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी तथा तृतीय पक्षों के लिए इस कार्यविधि को पढ़ना, समझना और इसका पालन करना तथा **किसी भी संदिग्ध लेनदेन से पहले प्रस्तावित कार्रवाई से संबंधित प्रश्नों या चिंताओं के समाधान के लिए समय पर महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क करना आवश्यक है।**

B. <u>FCPA के बारे में वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानून/केंद्रीय बिंदु</u>।

वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानून के तहत किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी में संलिप्त होना गैर-कानूनी है। कुछ देशों के कानून केवल सरकारी अधिकारियों (जिन्हें कभी-कभी "विदेशी अधिकारी" या "सार्वजनिक अधिकारी" कहा जाता है) द्वारा रिश्वतखोरी पर केंद्रित हैं, जबकि अन्य कानून सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी और व्यावसायिक रिश्वतखोरी (यानि, गैर-सरकारी संगठनों में "निजी अधिकारियों" द्वारा रिश्वतखोरी) दोनों को ही निषिद्ध

करते हैं। वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानून के तहत कंपनियों के लिए उचित ब्यौरों के साथ लेखा-बही, रिकॉर्ड और खाते रखना आवश्यक होता है, जो सटीक और स्पष्ट तरीके से उनके विदेशी तथा घरेलू लेनदेनों का विवरण देते हैं।

यूनाइटेड किंगडम ("UK") में व्यावसायिक प्रचालन करने वाली अमेरिकी ("U.S.") कंपनी के तौर पर, कंपनी की व्यावसायिक नैतिकता और आचरण संहिता में अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम 1977 ("FCPA"), UK रिश्वतखोरी अधिनियम 2010 ("UK रिश्वतखोरी अधिनियम") और संबंधित कानून, तथा उन देशों के स्थानीय भ्रष्टाचार-विरोधी, मुद्रा संबंधी और अन्य कानून (सामूहिक रूप से "वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानून") में प्रस्तुत आचरण के मानकों के प्रति वचनबद्धता शामिल है। यह कार्यविधि मुख्यत: FCPA की अनिवार्यताओं पर केंद्रित है और उन अन्य देशों के भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों का केवल सामान्य संदर्भ प्रदान करती है जहां Kennametal प्रचालन करती है और जहां इसके कर्मचारी, अधिकारी, निदेशक और तृतीय पक्ष रहते हैं और कार्य करते हैं। हालांकि सभी व्यक्ति उन अलग-अलग देशों के भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों में प्रस्तुत निषेधों के अधीन हैं जहां वे रहते हैं और कार्य करते हैं, फिर भी ऐसे कानून सभी कर्मचारियों पर उसी तरह लागू नहीं भी हो सकते हैं जैसे कि FCPA और UK रिश्वतखोरी अधिनियम लागू होते हैं।

उन देशों में वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के अनुपालन के महत्व को उजागर किया गया है जहां रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का जोखिम अधिक है। इनमें वे देश शामिल हैं जहां (i) सरकारी और निजी क्षेत्र के अधिकारी अक्सर वाणिज्यिक और वित्तीय गतिविधियों में संलग्न होते हैं, (ii) भ्रष्टाचार और उससे जुड़ी समस्याएं आम हैं, और (iii) कानूनी मानक तथा प्रवर्तन नीतियां विकसित हो रही हैं, लेकिन अक्सर अस्पष्ट तथा असंगत ढंग से लागू होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी महत्वपूर्ण होती है।

III. प्रतिपूर्ति और व्यावसायिक सौजन्यों पर रोक

A. <u>व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करने के प्रयासों के बारे में सामान्य निषेध</u>।

1. <u>भुगतान या "कोई भी मूल्यवान वस्तु"</u>: इस कार्यविधि में अन्यथा प्रदान किया हो, उसके सिवाय, किसी भी संगठन, चाहे वह निजी कंपनी हो, या सरकारी स्वामित्व (या आंशिक स्वामित्व वाली) वाली कंपनी, के किसी भी कर्मचारी, एजेंट, प्रतिनिधि या अधिकारी, राजनीतिक पार्टी या अन्य किसी भी संस्था, संगठन या व्यक्ति को **कंपनी द्वारा या उसकी ओर से कोई भी पेशकश, भुगतान, पैसे के भुगतान के वायदे या अधिकार, कोई उपहार या <u>कोई भी मूल्यवान वस्तु</u> प्रदान नहीं किए जा सकते हैं।** हालांकि, यह कार्यविधि व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित

करने के लिए निजी और सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों को कोई भी मूल्यवान वस्तु प्रदान करने को व्यापक स्तर पर निषिद्ध करती है, फिर भी FCPA और दूसरे अनेक देशों के कानून सरकारी अधिकारियों को कोई भी मूल्यवान वस्तु प्रदान करने के लिए भुगतानों या प्रयासों का बारीक निरीक्षण करते हैं।

निजी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ लेनदेन में निम्नलिखित कार्य निषिद्ध हैं:

(i) ऐसे व्यक्ति या पक्ष के आधिकारिक सामर्थ्य में किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करना;

(ii) ऐसे व्यक्ति या पक्ष के वैध कर्तव्य का उल्लंघन करने वाले किसी कार्य को करने या न करने के लिए उकसाना; या

(iii) ऐसे व्यक्ति या पक्ष को किसी विदेशी सरकार या संगठन के किसी भी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने के लिए उकसाना।

कोई "सरकारी अधिकारी" किसी विदेशी सरकार (अमेरिका के बाहर की सरकार) या उसके किसी विभाग या उसकी एजेंसी, या सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अधिकारी या कर्मचारी, या उनमें से किसी के लिए या किसी की ओर से आधिकारिक सामर्थ्य में काम करने वाला कोई व्यक्ति होता है। उदाहरण के लिए, वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के उद्देश्यों से, राज्य के स्वामित्व वाले या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कर्मचारी एक "सरकारी अधिकारी" हो सकता है।

2. उल्लंघन के लिए आवश्यक ज्ञान का स्तर: वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के उल्लंघन के लिए किसी उल्लंघन की वास्तविक जानकारी होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जानता है या उसके पास यह जानने का कारण है कि कोई गैर-कानूनी कार्य हो सकता है, तो एक या उससे अधिक वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। जानबूझकर ऐसी जानकारी की उपेक्षा करना, या उसे सुविचारित रूप से अनदेखा करना या सचेतन तौर पर उसके प्रति उदासीन रहने पर माना जाएगा कि कंपनी और उस व्यक्ति को उक्त गैर-कानूनी लेनदेन की जानकारी थी।

B. सुगमता भुगतान।

"सुगमता भुगतान" **(जिसे "चीजों को सरल बनाने के लिए भुगतान" के रूप में भी जाना जाता है)** किसी सरकारी अधिकारी या क्लर्क को किया जाने वाला मामूली भुगतान होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य नियमित, गैर-

विवेकाधीन सरकारी कार्यप्रणाली के प्रदर्शन को शीघ्र पूरा कराना या सुनिश्चित कराना होता है। कुछ भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के तहत सुगमता भुगतान गैर-कानूनी होते हैं, और इसलिए Kennametal **इस दस्तावेज में सूचीबद्ध सीमित परिस्थितियों के सिवाय सभी सुगमता भुगतानों को निषिद्ध करती है।** उन परिस्थितियों के कुछ उदाहरण, जब कार्यप्रणाली को तेज करने के लिए सुगमता भुगतान निषिद्ध होने के बावजूद सामान्य हैं, निम्नलिखित हैं: (i) परमिट या यात्रा वीजा हासिल करना; (ii) बिजली या टेलीफोन की सेवा लगवाना; और (iii) पुलिस सुरक्षा प्राप्त करना।

सुगमता भुगतानों के निषेध का एकमात्र **अपवाद** ऐसी व्यक्तिगत आपातस्थिति होती है, जिसमें कंपनी के कर्मचारी या अन्य प्रतिनिधियों या उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या संरक्षा को त्वरित खतरा होता है। ऐसी स्थिति में, उस भुगतान की तथा भुगतान के कारण की सूचना जितना जल्दी हो सके उस कर्मचारी के सुपरवाइजर या कंपनी प्रतिनिधि के सुपरवाइजर और महाधिवक्ता कार्यालय को देनी चाहिए। FCPA के लेखाविधि प्रावधानों के तहत, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के लेखाबही और रिकॉर्डों में सुगमता भुगतान को ठीक से दर्ज करना चाहिए।

C. <u>उपहार और आतिथ्य</u>।

Kennametal सरकारी और निजी कंपनी, दोनों के अधिकारियों के लिए होटल, परिवहन, भोजन और मनोरंजन व्ययों ("आतिथ्य") जैसे उपहारों और आतिथ्यों को प्रदान करने की अनुमति नहीं देती है। फिर भी, सीमिति परिस्थितियों में, कुछ आतिथ्य और नाममात्र के उपहार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऐसे समस्त आतिथ्य और नाममात्र के उपहार अनिवार्य रूप से:

- प्रत्यक्षत: कंपनी के व्यवसाय से संबंधित होने चाहिए;
- कीमत में किफायती और अच्छी नीयत से प्रदान किए जाने चाहिए;
- केवल कंपनी के उत्पादों या सेवाओं के प्रसार, प्रदर्शन या स्पष्टीकरण या विदेशी सरकार या उसकी एजेंसी के साथ संविदा के अमलीकरण या प्रदर्शन के संबंध में दिए जाने चाहिए;
- लागू होने वाले देश के स्थानीय कानून के तहत दिए जाने चाहिए; और

- बीच-बीच में और सावधानी के साथ उनकी निगरानी की जानी चाहिए क्योंकि अक्सर दिए जाने वाले आतिथ्य और नाममात्र के उपहारों के कुल प्रभाव से अनुचित आचरण प्रतीत होने की संभावना बढ़ जाती है।

आतिथ्य और नाममात्र के उपहार निम्नलिखित अतिरिक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए:

- अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा दौरों या समान गतिविधियों के मामले में, लिखित आमंत्रण और यात्रा कार्यक्रम तैयार करने चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों को भेजने चाहिए ताकि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श कर सकें और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर सकें तथा उनके पास इस आमंत्रण को अस्वीकार करने का विकल्प हो;
- जलपान, भोजन और स्मृति-चिह्न उचित मूल्य के होने चाहिए और अन्यथा इस कार्यविधि की शर्तों के अनुरूप होने चाहिए;
- सामान्य लंच और डिनर उचित मूल्य का होना चाहिए और सद्भाव के लिए भोजन तथा मनोरंजन उचित, स्थानीय व्यावसायिक चलन के अनुरूप और Kennametal के व्यय सूचना/प्रतिपूर्ति के अनुपालन में ठीक से दर्ज होना चाहिए; और
- कंपनी के लोगो (प्रतीक-चिह्न) वाले उपहार या अन्य सामान मामूली मौद्रिक मूल्य के होने चाहिए और प्रसार या यादगार के रूप में वितरित किए जाने चाहिए।

किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के नगद उपहार या भुगतान की अनुमति नहीं है।

अंत में, ऐसे व्यय करने से पहले कंपनी में आंतरिक रूप से समुचित अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए और आंतरिक रिपोर्टिंग तथा दस्तावेज अभिधारण कार्यविधियों का अनुसरण करना चाहिए। **यह ध्यान रखना अत्यावश्यक है कि ऐसा कोई न्यूनतम मूल्य नहीं है जो इन कानूनों के तहत अपवाद माना जाता हो, यानि मामूली मौद्रिक मूल्य का खर्च भी वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों का उल्लंघन हो सकता है।**

IV. लेखाविधि प्रावधान

सभी Kennametal बैंक खाते और रिकॉर्ड उचित ब्यौरों के साथ रखे जाने चाहिए, ताकि वे सटीक और स्पष्ट तरीके से विदेशी तथा घरेलू दोनों ही प्रकार के लेनदेनों का विवरण प्रदान करें। किसी भी उद्देश्य से कोई भी गुप्त या अनभिलिखित फंड या खाता स्थापित नहीं किया जाना सकता। रिकॉर्ड रखने के जिन मामलों में वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों का उल्लंघन हो सकता है, उनके उदाहरण हैं:

- ऐसे रिकॉर्ड जिनमें अनुचित लेनदेन (जैसे, बहीखातों में बिना दर्ज किए हुए लेनदेन) न दर्ज हों; और
- ऐसे रिकॉर्ड जो अनुचित लेनदेनों के कुछ पहलुओं को छिपाने के लिए भ्रामक बनाए गए हों।

लेखाविधि नियंत्रण की एक व्यवस्था कायम की जानी चाहिए जो इस बात का उचित आश्वासन देती हो कि:

- लेनदेन प्रबंधन से मिले अधिकार के अनुसार किए गए हैं;
- सटीक वित्तीय विवरण तैयार करने और परिसंपत्तियों की जवाबदेही को बनाए रखने के लिए लेनदेन दर्ज किए गए हैं;
- परिसंपत्तियों तक पहुंच की अनुमति केवल प्रबंधन से मिले अधिकार के अनुसार ही है; और
- उपयुक्त लेखा कार्यव्यवहार किए गए हैं।

V. तृतीय पक्षों के साथ लेनदेन

कुछ खास परिस्थितियों में, Kennametal और इसके निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी तृतीय पक्षों के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, जो कंपनी या इसके उत्पादों या सेवाओं की ओर से या इसके प्रतिनिधित्व के संबंध में कार्य करते हुए किसी निर्णय को अनुचित ढंग से प्रभावित करने के लिए कोई भी मूल्यवान वस्तु प्रदान करते हैं।

इसलिए, संलग्नता से पहले और संबंध के दौरान ऐसे तृतीय पक्षों पर अधिक मेहनत करना अत्यावश्यक है। Kennametal को ऐसे तथ्यों की अवहेलना या अनदेखी नहीं करनी चाहिए जिनसे ऐसी संभावना का पता चलता हो कि संभवत: कोई तृतीय पक्ष कंपनी की ओर से अनुचित रूप से कोई मूल्यवान वस्तु प्रदान कर रहा है या

अन्यथा अनुचित कार्य कर रहा है। इस जोखिम को कम करने के लिए, किसी भी तृतीय पक्ष से संबंध कायम करने से पहले कठोर मूल्यांकन मानकों पर विचार किया जाना चाहिए।

Kennametal की यथोचित परिश्रम की प्रक्रिया के तहत आवश्यक है कि सभी तृतीय पक्षों को निम्नलिखित मानकों को पूरा करना होगा और तृतीय पक्ष का चयन करने के लिए जिम्मेदार कंपनी अधिकारी को इस प्रक्रिया के अनुपालन को दर्शाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज रखने होंगे:

(i) प्रतिष्ठित - आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता;

(ii) विश्वसनीय - व्यावसायिक संदर्भ प्राप्त करें;

(iii) वित्तीय रूप से स्थिर - वायदों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन;

(iv) कानून का पालन करने के लिए वचनबद्धता - तृतीय पक्ष सभी लागू होने वाले कानूनों का पालन करने और अनुचित भुगतान नहीं करने के लिए सहमत है; और

(v) अभिस्वीकृति - इस कार्यविधि के अनुपालन की अभिस्वीकृति और सहमति लेना।

तृतीय पक्ष को कोई भी भुगतान उसके द्वारा किए गए कार्य के अनुरूप होने चाहिए और उस स्तर के नहीं होने चाहिए जो तृतीय पक्ष को अनुचित कार्य के लिए उकसाए या जिससे ऐसा बोध हो कि अनुचित कार्य किए गए हैं। तृतीय पक्षों को भुगतान या किसी भी मूल्यवान वस्तु के प्रावधान को जारी करने से पहले उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार सावधानी से जांचना चाहिए और यदि जांच के दौरान कोई भी प्रतिकूल जानकारी या "लाल निशानों" का पता चलने पर उसे Kennametal महाधिवक्ता कार्यालय को भेजना चाहिए।

साथ ही, इस कार्यविधि के तहत अनुपालन संबंधी अनिवार्यताओं के बारे में, तथा रिकॉर्ड अभिधारण अनिवार्यताओं के बारे में Kennametal के तृतीय पक्षों को शिक्षित करने के लिए उपयुक्त और उचित प्रयास किए जाने चाहिए। इस अनुच्छेद के अनुपालन को सुनिश्चित करना कंपनी के उस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है जो तृतीय पक्ष के चयन के लिए तथा उससे व्यावसायिक संबंध के प्रबंध के लिए जिम्मेदार है।

VI. सूचना देने की बाध्यता

A. <u>कर्मचारी</u>: कर्मचारियों को लागू होने वाले कानूनों या विनियमों के किसी भी संदिग्ध या वास्तविक उल्लंघन (चाहे वे व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित हो या नहीं) की सूचना Kennametal के महाधिवक्ता कार्यालय को तुरंत देनी चाहिए। किसी कर्मचारी द्वारा कोई सूचना देने के बाद, वह कर्मचारी नई जानकारी मिलने पर उस सूचना को अद्यतन करने के लिए भी बाध्य होता/होती है। यदि उस कर्मचारी ने अच्छी नीयत से सूचना दी है, तो किसी भी परिस्थिति में ऐसी किसी भी जानकारी की सूचना के लिए उस कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

B. <u>तृतीय पक्ष</u>: सभी तृतीय पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी संदिग्ध या वास्तविक उल्लंघन (चाहे वे व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित हो या नहीं) की सूचना Kennametal में अपने व्यावसायिक संपर्क या Kennametal के महाधिवक्ता कार्यालय को प्रदान करेंगे।

C. <u>Kennametal का महाधिवक्ता कार्यालय</u>: सूचना देने के उद्देश्यों लिए, Kennametal के महाधिवक्ता कार्यालय से निम्नलिखित पते पर संपर्क किया जा सकता है:

महाधिवक्ता कार्यालय
1600 Technology Way
Latrobe, PA U.S.A. 15650-0231
फोन: (724) 539-4031; फैक्स: (724) 539-3839
ई-मेल: K-corp.ethics@kennametal.com

वैकल्पिक रूप से, आप टॉल-फ्री हेल्पलाइन (1-877-781-7319) पर कॉल कर सकते हैं, जिसका प्रबंधन Kennametal नैतिकता और अनुपालन कार्यालय द्वारा किया जाता है और जिसे गुमनाम तथा गोपनीय आधार पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

VII. जुर्माना

वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के उल्लंघनों के परिणामस्वरूप कंपनी और व्यक्तियों, दोनों को उल्लेखनीय जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। FCPA और UK रिश्वतखोरी अधिनियम के तहत संभावित जुर्मानों के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

FCPA

कंपनियां

- प्रति उल्लंघन US$2 मिलियन तक के अर्थदंड
- सरकारी संविदाओं में भागीदारी पर रोक
- निर्यात सुविधाएं गंवाना
- स्वतंत्र अनुपालन पर्यवेक्षक की नियुक्ति
- लेखाविधि प्रावधान - प्रति उल्लंघन $2.5 मिलियन तक के अर्थदंड

व्यक्ति

- प्रति उल्लंघन US$100,000 मिलियन तक के अर्थदंड
- प्रति उल्लंघन 5 वर्ष तक की कैद
- लेखाविधि प्रावधान - US$10 मिलियन तक के अर्थदंड और 10 वर्ष की कैद

UK रिश्वतखोरी अधिनियम

कंपनियां

- असीमित वित्तीय जुर्माने
- सार्वजनिक संविदाओं में भागीदारी पर रोक
- परिसंपत्ति की जब्ती की कार्यवाही

व्यक्ति

- असीमित वित्तीय जुर्माने
- 10 वर्ष तक की कैद

VIII. KENNAMETAL के संदर्भ

- व्यावसायिक नैतिकता और आचरण संहिता
- वैश्विक रिकॉर्ड प्रबंधन कार्यविधि
- प्रतिकार-विरोधी और सूचना देने की बाध्यता संबंधी कार्यविधि
- हितों में टकराव संबंधी मार्गदर्शिका
- उपहार और व्यावसायिक सौजन्य संबंधी मार्गदर्शिका
- व्यय कार्यविधि के अधिकार देना